

बर्कशायर हाथवे इंक. व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता की संहिता

1.1 दायरा

व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता की यह संहिता ("संहिता") बर्कशायर हाथवे इंक ("बर्कशायर") के डायरेक्टरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होती है और साथ ही यह बर्कशायर की प्रत्येक सहायक कंपनी के डायरेक्टरों, अधिकारियों, एवं कर्मचारियों पर भी लागू होती है। इन डायरेक्टरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एतद्वारा सामूहिक रूप से, "आच्छादित पक्षों" के नाम से संबोधित किया जाएगा। बर्कशायर एवं उसकी सहायक कंपनियों को एतद्वारा "कंपनी" के नाम से संबोधित किया जाएगा।

2.1 उद्देश्य

कंपनी को उन मान्यताओं पर गर्व है जिनके अनुसार वह अपने बिज़नेस को संचालित करती है। कंपनी ने आज तक अपने सभी लेन-देनों एवं बातचीतों में बिज़नेस मान्यताओं एवं व्यक्तिगत अखंडता के सर्वोच्च स्तरों को बरकरार रखा है एवं आगे भी वह इन्हें बरकरार रखने का इरादा रखती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, संहिता के ज़रिए निम्नलिखित पर ज़ोर डाला जाएगा:

- मान्यताओं एवं कानून क प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता पर ज़ोर डालना;
- नैतिकता एवं कानूनी आचरण के बुनियादी मानदंडों को निर्धारित करना;
- नैतिकता या कानून के ज्ञात या संदिग्ध उल्लंघनों की सूचना देने के लिए उपयुक्त पद्धतियां प्रदान करना; एवं
- ग़लत कार्यों को रोकने एवं उनका पता लगाने में मदद करना।

कंपनी के बिज़नेस संचालन के दौरान उठने वाले नैतिक प्रश्नों की विविधता एवं जटिलता को मद्देनज़र रखते हुए, यह संहिता एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो बताती है कि बर्कशायर एवं उसकी प्रत्येक सहायक कंपनी को किस प्रकार काम का निर्देशन करना चाहिए, बिज़नेस संबंध कैसे होने चाहिए, एवं कंपनी की ओर से उनके अपने-अपने डायरेक्टरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्णय किस प्रकार लिए जाने चाहिए एवं उनकी गतिविधियों का संचालन किस तरह से किया जाना चाहिए। नैतिक रूप से अस्पष्ट परिस्थितियों का सामना करने पर, आच्छादित पक्षों को उच्च नैतिक मानदंडों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को याद रखना चाहिए एवं सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स या अन्य उपयुक्त कंपनियों से सलाह लेनी चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की ओर से संचालित सभी कार्यों में इस प्रतिबद्धता का मान रखा जाए। संदेह होने पर, वॉरेन बफे की मूल नीति याद रखें:

"...मैं चाहता हूँ कि कर्मचारी खुद से पूछें कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि उनका कोई भी परिकल्पित कार्य अगले दिन उनके स्थानीय अखबार के सामने के पत्र पर नज़र आए – जिसे उनकी पति/पत्नी, बच्चे एवं दोस्त पढ़ेंगे – एवं जहाँ उस बात की सूचना एक सुविज्ञ एवं आलोचनात्मक संवाददाता ने दी हो।"

3.1 नैतिक मानदंडों का उल्लंघन

3.1.1 ज्ञात या संदिग्ध उल्लंघनों की सूचना देना।

आच्छादित पक्षों से यह आवश्यकता है कि उन्हें अपने सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स या अन्य उचित कर्मियों को किसी भी

ज्ञात या संदिग्ध अनैतिक आचरण की सूचना देनी होगी।

यह अच्छादित पक्ष *NAVEX Global* नामक एक तृतीय पक्ष संगठन से संपर्क करके उन्हें इन शंकास्पद आचरणों की सूचना दे सकते हैं ठीक जिस तरह से वे लेखा परीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण नियंत्रणों या ऑडिटिंग से जुड़ी शिकायतों की सूचना देते हैं। NAVEX से संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है <http://brk-hotline.com> पर उनकी वेबसाइट के ज़रिए उनसे संपर्क करना या आप 1-800-261-8651 नंबर पर उन्हें कॉल कर सकते हैं।

संयुक्त राज्य से बाहर काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों के लिए नामरहित रूप से रिपोर्ट करने की अलग प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। नेक नियत से इस प्रकार की रिपोर्ट करने वाले लोगों के विरुद्ध किसी प्रकार की जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है।

3.1.2 उल्लंघनों के लिए जवाबदेही।

अगर यह निर्धारित किया जाए कि कोड का उल्लंघन हुआ है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, या किसी उल्लंघन को रिपोर्ट करने में विफलता, या उल्लंघन से जुड़ी जानकारी को दबाने की वजह से हुआ हो, तो अपराधी आच्छादित पक्ष दंडात्मक कार्रवाई का पात्र होगा, जिसके अंतर्गत उनके रोज़गार से निष्कासित किया जा सकता है एवं गैर-अनुपालन के लिए उनकी संभाव्य देयता शामिल हो सकती है। इस संहिता के उल्लंघन को कानून का उल्लंघन भी माना जा सकता है एवं उसके परिणामस्वरूप अपराधी आच्छादित पक्ष एवं कंपनी पर आपराधिक दंड एवं दीवानी देयता जारी की जा सकती है। सभी आच्छादित पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि कदाचार से जुड़ी आंतरिक जांच-पड़ताल को वे अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

4.1 नैतिक मानदंड।

4.1.1 हितों में द्वंद्व।

हितों में द्वंद्व तब पैदा होता है जब एक आच्छादित पक्ष के निजी हित किसी भी प्रकार से कंपनी के हितों के आड़े आएँ। द्वंद्व की स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब एक आच्छादित पक्ष इस प्रकार की कार्रवाई करे या उसके ऐसे हित हों जिनके चलते उनके लिए कंपनी के लिए निष्पक्ष एवं प्रभावी रूप से काम करना कठिन हो जाए। साथ ही हितों में द्वंद्व तब भी उत्पन्न हो सकते हैं जब कंपनी में आच्छादित पक्ष की पदवी के कारण खुद आच्छादित पक्ष को, या उनके परिवार के सदस्यों को अनुचित निजी लाभ मिलें। आच्छादित पक्षों को दिए गए ऋण एवं आच्छादित पक्षों या उनके परिवार के सदस्यों के दायित्वों की गारंटियों की वजह से भी हितों में द्वंद्व उत्पन्न हो सकते हैं। एक ही समय पर किसी प्रतियोगी, ग्राहक या आपूर्तिकर्ता के लिए काम करने से भी आच्छादित पक्ष के लिए लगभग हमेशा हितों में द्वंद्व पैदा होता है।

हितों में द्वंद्व शायद हमेशा स्पष्ट ना हों। हितों में द्वंद्व होने का संभाव्य संदेह है ऐसे किसी भी मामले से जुड़े प्रश्नों को लेकर आच्छादित पक्ष को उनके सुपरवाइजर या मैनेजर से बात करनी चाहिए, या, अगर परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो तो वे कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी या मुख्य कानूनी अधिकारी से भी बात कर सकते हैं। अगर किसी आच्छादित पक्ष को किसी द्वंद्व या संभाव्य द्वंद्व के बारे में पता चलता है तो उन्हें उस बात को किसी सुपरवाइजर, मैनेजर या अन्य उचित कर्मियों के नज़र में लाना चाहिए या उन्हें इस संहिता के भाग 3.1.1 में वर्णित पद्धतियों को पढ़ना चाहिए।

बर्कशायर के सभी डायरेक्ट एवं एग्ज़िक्यूटिव अधिकारियों को एवं बर्कशायर की सहायक कंपनियों के मुख्य एग्ज़िक्यूटिव अधिकारियों एवं मुख्य वित्तीय अधिकारियों को अवश्य ही ऐसे किसी भी भौतिक लेन-देन या संबंध का खुलासा करना होगा जिसके चलते युक्तिपूर्वक यह अपेक्षा की जा सकती है कि उससे बर्कशायर की ऑडिट कमिटी के चेयर के लिए हितों में द्वंद्व पैदा हो सकते हैं।

4.1.2 कॉर्पोरेट अवसर

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की सहमति लिए बिना आच्छादित पक्षों के लिए ऐसे किसी भी अवसरों से निजी लाभ उठाना निषिद्ध है जिनके बारे में उन्हें कॉर्पोरेट संपत्ति, जानकारी या पदवी के ज़रिए पता चला है। किसी अनुचित निजी लाभ के लिए आच्छादित पक्ष द्वारा कॉर्पोरेट संपत्ति, जानकारी या पदवी का इस्तेमाल निषिद्ध है और किसी भी कर्मचारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से प्रतिस्पर्धा करना भी निषिद्ध है। आच्छादित पक्षों पर कंपनी के प्रति यह दायित्व है कि जहाँ संभव उन्हें कंपनी के वैध हितों को बढ़ाना चाहिए।

4.1.3 निष्पक्ष लेन-देन।

यह आवश्यक है कि आच्छादित पक्ष हर समय एवं सभी लोगों के साथ ईमानदारी एवं नैतिक रूप से आचरण करें। सभी प्रतिस्पर्धियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों एवं सहकर्मियों के साथ अपने नैतिक आचरण के ज़रिए वे नेक नियत एवं उचित ध्यान बरत कर काम करेंगे एवं केवल निष्पक्ष व खुली प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। किसी की मालिकाना जानकारी को चुराना, मालिक की सहमति लिए बिना किसी व्यापार के राज़ को प्राप्त करना, या अन्य कंपनियों के मौजूदा या पूर्व ग्राहकों को प्रलोभन देकर इन प्रकार के खुलासों को जानना निषिद्ध है। हेर-फेर, छुपाना या विशेषाधिकार के चलते ज्ञात जानकारी का दुरुपयोग, भौतिक तथ्यों की गलत बयानी या कोई भी अनुचित कार्य पद्धति में शामिलगिरी आच्छादित पक्षों के लिए निषिद्ध है।

4.1.4 उपहार एवं मनोरंजन।

एक वाणिज्यिक परिवेश में बिज़नेस मनोरंजन एवं उपहारों का उद्देश्य है नेकनामी पैदा करना एवं मज़बूत कामकाजी संबंध बनाना, मगर ग्राहकों के साथ अनुचित लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं है। किसी भी आच्छादित पक्ष या आच्छादित पक्ष के परिवार के सदस्य द्वारा किसी भी उपहार या मनोरंजन का प्रस्ताव ना तो दिया जाना चाहिए एवं ना ही उनके द्वारा इसे स्वीकारा जाना चाहिए यदि न (1) वह रिवाजी बिज़नेस पद्धतियों के साथ सुसंगत हो, (2) उसका मूल्य अत्यधिक ना हो, (3) उसे रिश्तत या अदायगी न समझा जाए एवं (4) उससे किन्हीं भी कानूनों या विनियमों का उल्लंघन ना हो। किसी भी आच्छादित पक्ष द्वारा नकद उपहारों का प्रस्ताव दिया जाना या उसकी स्वीकृति निषिद्ध है। आच्छादित पक्षों को ऐसे किसी भी उपहारों या प्रस्तावित उपहारों को लेकर उनके सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स या किसी भी अन्य उपयुक्त कर्मियों के साथ चर्चा करनी चाहिए जिन्हें वे अनुचित मानते हैं।

4.1.5 भेदिया व्यापार।

गोपनीय जानकारी तक पहुँच वाले आच्छादित पक्षों के लिए कंपनी के बिज़नेस के संचालन के सिवाय किसी भी अन्य सिक्वोरिटीज़ ट्रेडिंग उद्देश्यों ("भेदिया व्यापार") या किन्हीं भी अन्य उद्देश्यों के लिए उस जानकारी का इस्तेमाल करना या उसे साझा करना निषिद्ध है। कंपनी के बारे में सभी गैर-सार्वजनिक जानकारी को गोपनीय जानकारी माना जाना चाहिए। भौतिक, गैर-सार्वजनिक जानकारी का ज्ञान होने पर बर्कशायर सिक्वोरिटीज़ में लेन-देन करना हमेशा गैर-कानूनी है एवं अन्य लोगों को यह जानकारी बताना या उन्हें इस प्रकार की जानकारी का "आभास" देना भी गैर-कानूनी है। हालांकि सभी आच्छादित पक्षों के लिए भेदिया व्यापार निषिद्ध है, फिर भी बर्कशायर ने निर्दिष्ट "भेदिया व्यापार की नीतियां व पद्धतियां" अपनाई हैं जो कंपनी के डायरेक्टरों, एग्जीक्यूटिव अधिकारियों एवं मुख्य कर्मचारियों ("डायरेक्टर व आच्छादित कर्मचारी") पर लागू होते हैं। इस दस्तावेज़ को बर्कशायर की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा एवं उसे निर्धारित समयावधियों में अनुपालन के प्रमाणन के

सिलसिले में डायरेक्टरों एवं आच्छादित कर्मचारियों को भेजा जाएगा।

4.1.6 गोपनीयता।

आच्छादित पक्षों को अवश्य ही उन्हें सौंपी गई गोपनीय जानकारी की गोपनीयता को बरकरार रखना होगा, सिवाय, अगर कंपनी के उचित कानूनी अधिकारी या कानूनों व विनियमों की आवश्यकतानुसार खुलासा करना आवश्यक हो। गोपनीय जानकारी में सभी गैर-सार्वजनिक जानकारी शामिल है जो प्रतिस्पर्धियों के लिए लाभदायक हो सकती हैं या जिसका खुलासा होने पर कंपनी या उसके ग्राहकों को नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही इसमें वह जानकारी भी शामिल है जो आपूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों ने भरोसे से कंपनी को सौंपी है। गोपनीय जानकारी की गोपनीयता को बरकरार रखने का दायित्व नौकरी की समाप्ति के बाद भी बनी रहती है।

4.1.7 कंपनी की संपत्ति की रक्षा एवं उसका उचित उपयोग।

सभी आच्छादित पक्षों को कंपनी की संपत्ति की रक्षा करने एवं उसके कुशल इस्तेमाल को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। चोरी, लापरवाही एवं बरबादी का कंपनी के लाभ पर प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। धोखाधोड़ी या चोरी की किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत जांच के लिए जमा की जानी चाहिए। कंपनी के उपकरण को गैर-कंपनी बिज़नेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि आपाति इस्तेमाल अनुमोदित है।

आच्छादित पक्षों पर कंपनी की संपत्ति की रक्षा करने के दायित्व में उसकी मालिकाना जानकारी भी शामिल है। मालिकाना जानकारी में व्यापार के राज़, पेटेंट, ट्रेडमार्क (व्यापार चिह्न) व कॉपीराइट्स जैसी बौद्धिक सम्पदा, और साथ ही बिज़नेस, मार्केटिंग एवं सर्विस प्लान, इंजीनियरिंग एवं उत्पादन के विचार, डिज़ाइन डेटाबेस, रिकॉर्ड एवं कोई भी अप्रकाशित वित्तीय आंकड़े एवं रिपोर्ट शामिल हैं। इस प्रकार की जानकारी के अनाधिकृत इस्तेमाल या वितरण से कंपनी की नीति का उल्लंघन होगा। यह गैर-कानूनी भी हो सकता है एवं इसके परिणामस्वरूप दीवानी या आपराधिक दंड भी दिए जा सकते हैं।

4.1.8 कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन।

काम एवं भावना दोनों ही पहलुओं में कानून का अनुपालन वह नींव है जिस पर कंपनी के नैतिक मानदंडों का निर्माण किया गया है। कंपनी के बिज़नेस का संचालन करने के दौरान, आच्छादित पक्षों को संयुक्त राज्य में एवं कंपनी जिन गैर-अमेरिकी न्यायक्षेत्रों में अपना काम संचालित करती है वहाँ के सभी सरकारी स्तरों पर लागू होने वाले सभी सरकारी कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होगा।

बर्कशायर की निषिद्ध बिज़नेस आचरण नीति में कानूनों के अनुपालन के विषय पर बर्कशायर की नीति का उल्लेख किया गया है, एवं इसमें खास तौर पर निषिद्ध प्रस्ताव या भुगतान, उपहार एवं मनोरंजन, कुछ निर्दिष्ट देशों एवं लोगों के साथ लेन-देन, निर्यात नियंत्रण, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग नियंत्रण एवं सटीक रिकॉर्ड रखने के जैसे विषयों को संबोधित किया गया है। वरिष्ठ प्रबंधकीय वर्ग एवं जोखिमपूर्ण क्षेत्रों को संभालने वाले या उस दस्तावेज में वर्णित अनुपालन से जुड़े जोखिमों का संभवतः सामना करने वाले लोगों के लिए बर्कशायर की निषिद्ध बिज़नेस आचरण नीति को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

4.1.9 सामयिक एवं सच्चा सार्वजनिक खुलासा।

कंपनी द्वारा सिक्योरिटीज एवं एक्सचेंज कमीशन या अन्य विनियामकों के पास जमा किए गए रिपोर्टों एवं दस्तावेजों,

एवं कंपनी द्वारा किए गए अन्य सार्वजनिक संचार के मामलों से जुड़े रिपोर्टों एवं दस्तावेजों की तैयारी में शामिल आच्छादित पक्षों (जिसमें इन वित्तीय या अन्य रिपोर्टों की तैयारी या इस प्रकार के रिपोर्टों एवं दस्तावेजों में शामिल जानकारी की तैयारी में कार्यरत लोग शामिल हैं) को ऐसे खुलासे करने होंगे जो संपूर्ण, निष्पक्ष, सटीक, सामयिक एवं समझने योग्य हों। जहाँ लागू हो वहाँ, यह आच्छादित पक्ष संपूर्ण एवं सटीक वित्तीय एवं लेखा परीक्षण (अकाउंटिंग) डेटा प्रदान करेंगे जिन्हें इस प्रकार के खुलासों में शामिल किया जाएगा। वे जानबूझकर न तो कोई जानकारी छुपाएंगे एवं ना ही कोई गलत बयानी करेंगे, ना ही वे भौतिक तथ्यों की गलत बयानी करेंगे अथवा ना ही अत्यावश्यक भौतिक तथ्यों को मिटाने का प्रयास करेंगे ताकि कंपनी के स्वतंत्र पब्लिक ऑडिटर या निवेशक गुमराह ना हों।

4.1.10 महत्वपूर्ण अकाउंटिंग कमियां।

बर्कशायर की प्रत्येक सहायक कंपनी के सीईओ एवं सीएफओ पर यह ज़िम्मेदारी है कि वे तुरंत बर्कशायर के जनरल काउंसल, मुख्य वित्तीय अधिकारी, आंतरिक ऑडिट के डायरेक्टर या उसके नैतिकता एवं अनुपालन के वरिष्ठ प्रबंधक को ऐसी कोई भी जानकारी देंगे जो इन मामलों से जुड़ी है (क) वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रणों की परियोजना या संचालन में उल्लेखनीय कमियां जिनका कंपनी के वित्तीय डेटा रिकॉर्डिंग, प्रक्रमण, संक्षिप्तीकरण एवं रिपोर्टिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या (ख) कोई भी धोखाधड़ी चाहे वह भौतिक हो या ना हो, और जिसमें प्रबंधकीय वर्ग या कोई भी ऐसे कर्मचारी शामिल हों जिनकी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग, खुलासों या वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

4.1.11 राजनीतिक एवं दानार्थ योगदान

कंपनी, आच्छादित पक्षों के निजी एवं राजनीतिक दान देने के अधिकार का सम्मान करती है। योगदान एवं गतिविधियां कानूनी होनी चाहिए। निजी दान में कंपनी का समय या संसाधन शामिल नहीं होने चाहिए। कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी की ओर से दिया गया दानार्थ दान अवश्य ही कंपनी की मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए एवं उसे किसी बिज़नेस निर्णय को प्रभावित करने की शर्त के तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए।

5.1 छूट

एग्जीक्यूटिव अधिकारियों या डायरेक्टरों के लिए इस संहिता के अंतर्गत किसी भी छूट को केवल कंपनी के निदेशकों की मंडली (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) या उसकी ऑडिट कमिटी द्वारा दिया जा सकता है एवं कानून या स्टॉक एक्सचेंज विनियम की आवश्यकतानुसार तुरंत इसका खुलासा किया जाएगा।

6.1 अनुपालन प्रक्रियाएं

कंपनी एवं आच्छादित पक्षों को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इस संहिता के उल्लंघनों के विरुद्ध तुरंत एवं संगत कार्रवाई की जाए। लेकिन, कुछ परिस्थितियों में, उल्लंघन का पता लगाना कठिन हो सकता है। चूंकि प्रत्येक परिस्थिति को पूर्वानुमानित करना संभव नहीं है इसलिए यह ज़रूरी है कि कंपनी एक प्रक्रिया स्थापित करे जिसके ज़रिए प्रश्नों या समस्याओं को पहचाना एवं आगे बढ़ाया जा सकता है। इन कदमों को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए:

- सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी तथ्य हैं। सही समाधानों तक पहुँचने के लिए, हमारे पास जितनी संभव हो उतनी जानकारी होनी चाहिए।

- खुद से पूछें: मुझे खास तौर पर क्या करने को कहा जा रहा है? क्या यह अनैतिक या अनुचित मालूम होता है? अपनी परख एवं सूझबूझ का इस्तेमाल करें। अगर कोई चीज़ अनैतिक या अनुचित लगे, तो शायद वह वाकई अनैतिक या अनुचित है।
- अपनी ज़िम्मेदारी एवं भूमिका को स्पष्ट रूप से जानें। ज़्यादातर परिस्थितियों में, एक साझी ज़िम्मेदारी रहती है। क्या आपके सहकर्मियों को इसकी जानकारी है? दूसरों को शामिल करना एवं समस्या को लेकर चर्चा करना सहायक हो सकता है।
- समस्या को लेकर अपने सुपरवाइजर से चर्चा करें। यह सभी परिस्थितियों के लिए बुनियादी दिशा-निर्देश है। कई परिस्थितियों में, आपके सुपरवाइजर को प्रश्नों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, एवं वे इस बात की सराहना करेंगे कि निर्णयन प्रक्रिया में उनसे सलाह-मशविरा किया गया है।
- कंपनी के संसाधनों से सहायता लें। दुर्लभ परिस्थितियों में, जहाँ आपके सुपरवाइजर से मुद्दे को लेकर चर्चा करना अनुचित या असहज होगा, या जहाँ आपका यह मानना है कि आपके सुपरवाइजर ने आपको अनुचित उत्तर दिया है, वहाँ आप अपने स्थानीय कानूनी विभाग, ऑफिस मैनेजर या अपने ह्यूमन रिसोर्सेस (मानव संसाधन) मैनेजर से उसे लेकर चर्चा कर सकते हैं।
- आप पलट वार के भय के बिना संपूर्ण रूप से आश्वस्त होकर नैतिक उल्लंघनों को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी परिस्थिति में आपकी पहचान को राज़ रखना आवश्यक हो, तो कंपनी के कानूनी दायित्वों के अनुरूप सर्वाधिक संभव हद तक आपकी गुमनामी की रक्षा की जाएगी। कंपनी का यह कहना है कि सभी परिस्थितियों में नेक नियत से नैतिक उल्लंघनों की सूचना देने वाले लोगों से प्रतिशोध लेना निषिद्ध है।
- पहले पूछें, बाद में कदम उठाएं। अगर आप सुनिश्चित ना हों कि किसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो कदम उठाने से पहले निर्देशन मांगें।